

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

(संविधान संशोधन अधिनियम 25/1973 के अन्तर्गत स्थापित)

भारतीय-स्वायत्त

(इंटरमीडियट : आरंभिक)

प्राथमिक शिक्षा शाखा है कि प्रोफेसर

सुब्रह्मण्यम् श्री लक्ष्मी कृष्णम् आनी

विद्यार्थी श्रीमती विद्यालक्ष्मी अ.ड.वि. रोहतक

को इस अधिनियम के अन्तर्गत, 2003 में अधिनियमित अधिनियम

अनुसार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेने के कारण

उत्तीर्ण-पत्रिकाओं की प्रतियाँ प्राप्त की जाती हैं।

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

(Established Under Haryana Act No. 25 of 1975)

MASTER OF PHARMACY

(INDUSTRIAL PHARMACY)

This is to certify that MONIKA

daughter of Shri SATISH KUMAR SHARMA

a student of DEPTT OF PHARMACEUTICAL SCIENCE, MDU ROHTAK

is hereby awarded the degree of Master of Pharmacy on

basis having passed the examination for the said degree held